[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART-I SECTION II]

Government of India

Ministry of Home Affairs

***

New Delhi, Date: 02 .09.2025

NOTIFICATION

F. No. I-14011/18/2025-IPS-I (E) (I) - In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission, on 02.09.2025 has approved the Select List of the year 2024 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 21.08.2025, containing the name of the following State Police Service officers of Rajasthan towards filling up of 05 substantive vacancies in the **Rajasthan** Cadre of Indian Police Service: -

Select List 2024

Sl.No	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Piyush Dixit	29.07.1968
2.	Vishanaram	01.07.1972
3.	Pushpendra Singh Rathore	12.09.1971
4.	Kamal Shekhawat	28.11.1971
5.	Avanish Kumar Sharma	03.02.1973

(Chandan Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. 011-24010121

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Minto Road, New Delhi-110064
(Through the e-portal)

No. I-14011/18/2025-IPS.I (E) (I) **New Delhi, Date: 02 .09.2025**

Copies to:

1. Chief Secretary, Government of Rajasthan, Jaipur—with the request that the officers concerned may be intimated of their status in the Select List along with a copy of the Notification.
2. Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi—for information.
3. Sr. Tech. Dir. (NIC) for placing on MHA IPS Portal under link https://ips.gov.in/Sl_Rajasthan.aspx.

(Chandan Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel. 011-24010121

[भारत के राजपत्र भाग-I खंड II में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 02.09.2025

<u>अधिसूचना</u>

संख्या. I-14011/18/2025-IPS I (इ) (I)- भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 02.09.2025 को चयन समिति की दिनांक 21.08.2025 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2024 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें **राजस्थान** कैडर की भारतीय पुलिस सेवा में कुल 05 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु राजस्थान पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है:

<u>चयन सूची-2024</u>

क्रम सं0	अधिकारयों के नाम श्री/श्रीमती	जन्म तिथि
1.	पीयूष दीक्षित	29.07.1968
2.	विशनाराम	01.07.1972
3.	पुष्पेंद्र सिंह राठौड़	12.09.1971
4.	कमल शेखावत	28.11.1971
5.	अवनीश कुमार शर्मा	03.02.1973

(चंदन कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष- 011-24010121

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली ।

<u>संख्या. I-14011/18/2025-IPS I (इ) (I)</u> **<u>नई दिल्ली ,दिनांक 02 .09.2025</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर -यह अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को चयन सूची में उनकी स्थिति के बारे में सूचित कर दिया जाए और उन्हें अधिसूचना की एक प्रति भी दे दी जाए।
2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एनआईसी) को को उपर्युक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु - लिंक https://ips.gov.in/Sl_Rajasthan.aspx के अंतर्गत विषय - चयन सूची 2024

(चंदन कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION II]
Government of India
Ministry of Home Affairs

New Delhi, Date: 02.09.2025

NOTIFICATION

F. No. I-14011/18/2025-IPS-I(E)(II)- In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of the Rajasthan Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the **Rajasthan** Cadre under sub-rule (1) of rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954:

Select List 2024

Sl.No	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Piyush Dixit	29.07.1968
2.	Vishanaram	01.07.1972
3.	Pushpendra Singh Rathore	12.09.1971
4.	Kamal Shekhawat	28.11.1971
5.	Avanish Kumar Sharma	03.02.1973

2. The aforesaid officers will remain on probation for one year as per the rule of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, and the officers will obtain induction training as per sub-rule 5(4) of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, as amended dated 10.05.2011.

(Chandan Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. 011-24010121

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Minto Road, New Delhi-110064
(Through the e-portal)

No. I-14011/18/2025-IPS.I (E) (II) **New Delhi, Date: 02 .09.2025**

A copy each is forwarded to:

1. Chief Secretary, G/o Rajasthan, Jaipur—with the request that the officers concerned may be intimated of their status in the Select List along with a copy of the Notification.
2. Secretary, UPSC, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi—for information.
3. Director General of Police, Rajasthan Police, Jaipur.
4. Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad.
5. Accountant General, Jaipur, Rajasthan.
6. Sr. Tech. Dir. (NIC) for placing on MHA IPS Portal under link https://ips.gov.in/Sl_Rajasthan.aspx and in the '**What's New**' section under the heading Select List 2024-Rajasthan.

(Chandan Kumar)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र भाग-I खंड II में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 02.09.2025

अधिसूचना

संख्या. I-14011/18/2025-IPS-I (इ) (II)- राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत **राजस्थान** संवर्ग प्रदान करते हैं:

चयन सूची-2024

क्रम सं0	अधिकारयों के नाम श्री/श्रीमती	जन्म तिथि
1.	पीयूष दीक्षित	29.07.1968
2.	विशनाराम	01.07.1972
3.	पुष्पेंद्र सिंह राठौड़	12.09.1971
4.	कमल शेखावत	28.11.1971
5.	अवनीश कुमार शर्मा	03.02.1973

2. उपर्युक अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा विनियम (परिवीक्षा), 1954 के तहत एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा विनियम (परिवीक्षा), 1954 के नियम 5(4) में संशोधन दिनांक 10.05.2011 के तहत अधिकारीयों को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

(चंदन कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष- 011-24010121

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली ।

संख्या. I-14011/18/2025-IPS I (इ) (II) **नई दिल्ली ,दिनांक 02.09.2025**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर अधिकारियों को चयन सूची में उनकी यह अनुरोध है कि संबंधित - स्थिति के बारे में सूचित कर दिया जाए और उन्हें अधिसूचना की एक प्रति भी दे दी जाए।
2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
3. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, जयपुर ।
4. निदेशक, सरदार बलाभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी , हैदराबाद
5. महालेखापाल, राजस्थान, जयपुर ।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक को उपर्युक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु (एन आई सी) under link https://ips.gov.in/SI_Rajasthan.aspx और **'What's New'** Section under heading **Select List 2024 -Rajasthan**.

(चंदन कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार